

प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
श्रम भवन, नैनीताल रोड,  
हल्द्वानी।

सेवा में,

सचिव, श्रम,  
उत्तराखण्ड शासन,  
सचिवालय देहरादून।

संख्या: 4597/संख्या-तीन-7 विविध

दिनांक : 26-10-2021

विषय वार्षिक कार्य समय सारिणी (Annual Work Calander) तैयार किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 4054 दिनांक 18-9-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य समय सारिणी की सूचना प्रेषित की गयी है।

उक्त संबंध में अवगत कराना है कि संशोधित सूचना निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य विवरण	समयावधि
1	विभागीय बजट प्रस्ताव	चालू वित्तीय वर्ष में 15 नवम्बर तक प्रेषित कर दिया जायेगा।
2	विभागीय रिक्त पदों पर पदोन्नति	विभाग में रिक्तियों के विरुद्ध 30 सितम्बर तक पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी
3	कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखानों के लाईसेंस नवीनीकरण	कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों के लाईसेंस नवीनीकरण हेतु 31 अक्टूबर की अन्तिम तिथि नियत है जाकि आवेदन करने पर स्वतः नवीनीकृत हो जाता है।
4	मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम 1961 के अन्तर्गत लाईसेंस नवीनीकरण	मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम 1961 के अन्तर्गत लाईसेंस नवीनीकरण हेतु 31 अक्टूबर की अन्तिम तिथि नियत है जो कि आवेदन करने के पश्चात 30 नवम्बर तक नवीनीकृत कर दिये जायेंगे।

भवदीय,

(संजय कुमार)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड  
हल्द्वानी।